| | राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | **साधिकार प्रकाशित** | ***Published by Authority*** |
| | आश्विन 20, सोमवार, शाके 1942–अक्टूबर 12, 2020 *Asvina 20, Monday, Saka 1942–October 12, 2020* | |

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।


**गृह (ग्रुप-2) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, अक्टूबर 9, 2020**

**संख्या** एफ.27(क)(2)गृह-2/2019 :-दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 केन्द्रीय अधिनियम-2) की धारा 2 के खण्ड (एस) के अनुसरण में तथा इस बारे में इसको समर्थ बनाने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद् द्वारा जिला अलवर में निम्नांकित गांव को वर्तमान थाने के कार्यक्षेत्र से हटाकर उनके सामने अंकित थाने की अधिकारिता में स्थानान्तरित किए जाने की घोषणा करती है:-

| क्र.सं. | गांव/क्षेत्र/ मजरा | वर्तमान | | | स्थानान्तरित | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | थाना | सर्किल | उपखण्ड | थाना | सर्किल | उपखण्ड |
| 1 | इन्दोक | थानागाजी | थानागाजी | मालाखेडा | मालाखेडा | अलवर ग्रामीण | मालाखेडा |

यह अधिसूचना इस विषय पर इसके पूर्व में प्रसारित सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में समझी जावें।

**राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,**

रामनिवास मेहता,

**संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)**

---


**5984**

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**